अति महत्वपूर्ण /शपथ /समयबद्ध

संख्या- 3556 /नौ-1-13-68सा/07टीसी

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,** उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त नगर आयुक्त (सहारनपुर को छोड़कर)** उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 8 जुलाई, 2013

विषयः शासन द्वारा निकायों में नामित सदस्यों को शपथ ग्रहण कराये जाने के संबध में।

महोदय,

अवगत ही हैं कि **उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-9(1)(घ) में नगर पंचायत में सदस्य नामित किये जाने तथा** इसी प्रकार उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-6(1)(ख) में नगर निगमों में नाम निर्दिष्ट सदस्य नामित किये जाने के संबध में प्राविधान हैं।

2. अवगत कराना है कि उक्त अधिनियमों में प्रदत्त प्राविधान्तर्गत शासन द्वारा परीक्षणोंपरांत नागर निकायों में नाम निर्दिष्ट सदस्यों को नामित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जिसके संबध में नामित सदस्यों/पार्षदों को शपथ ग्रहण कराये जाने के संबध में **शा0सं0 2298/9.1.13-68सा/07टीसी, दि0 22 अप्रैल, 2013 (ई-मेल द्वारा प्रेषित/विभागीय साइट पर अपलोड) द्वारा निम्नांकित निर्देश दिए गए हैंः**

"......वर्ष 2013 में जिन जनपदों /निकायों में नाम निर्दिष्ट सदस्य नामित किये जा चुके हों उनके संबध में तत्काल उक्त प्राविधानों से अवगत होते हुए, नाम निर्दिष्ट सदस्यों को शपथ ग्रहण कराते हुए, इसकी सूचना शासन/निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 एवं राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 को देने का कष्ट करें। साथ ही भविष्य में नामित किए जाने वाले सदस्यों एवं पार्षदों के संबध में भी इसका अनुपालन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करते हुए, कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाये।"

3. शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि शासन के उक्त निर्देशों के उपरांत भी "नामित सदस्यों" को शपथ ग्रहण नहीं कराया जा रहा है, यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है। अतः उक्त शासनादेश दि0 22 अप्रैल, 13 का अनुपालन कृपया सुनिश्चित किया जाये।

यह भी तथ्य संज्ञान में आया है कि "नामित सदस्यों" को शपथ ग्रहण नहीं कराये जाने में कतिपय निकायों के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी की भी नकारात्मक भूमिका सामने आयी है। अतः इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "नामित सदस्यों" को शपथ ग्रहण समयबद्ध रूप से कराया जाये तथा शपथ ग्रहण न कराये जाने में ,यदि संबधित निकाय के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी की भी नकारात्मक भूमिका सामने आती है तो उस संबध में तत्काल शासन को उक्त उत्तरदायी अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर, अपने अभिमत सहित शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि संगत नियमों के परिप्रेक्ष्य में यथोचित कार्यवाही की जा सके।

4. कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए, उक्त निर्देशों एवं पूर्व में दिए गए निर्देशों शा0 सं0 दि0 22 अप्रैल, 2013 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

04/7/2013

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

सं0 3556 (1)/9.1.2013-68सा/07टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष, न0पा0प0/न0पं0 **द्वारा जिलाधिकारी।**
4. **वेब मास्टर** ,नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय साइट पर अपलोड करने तथा समस्त संबधित को ई-मेल करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

04/7/2013

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।